पत्रांक–06/भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 15-07-2020

विषयः– दाखिल–खारिज एवं ऑन लाईन लगान रसीद निर्गत होने में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण, अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख पर निर्णय लेने, वैध बंदोबस्ती के आलोक में निर्णय लेने एवं भूमि के नियमितीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2074/रा., दिनांक–13.05.2016, 2861 (5)/रा., दिनांक–08.06.2017, 6144 (5)/रा., दिनांक–21.12.2017 एवं 2884 (5)/रा., दिनांक–10.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि :–

1. विभागीय पत्रांक–2074/रा., दिनांक–13.05.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच करने एवं समयबद्ध प्रभावकारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया था। उक्त पत्र के आलोक में सभी जिलों/अंचलों द्वारा अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को चिन्हित कर जमाबंदी को रद्द करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
2. विभागीय पत्रांक–2074/रा., दिनांक–13.05.2016 के आलोक में चिन्हित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ करने एवं उक्त भूमि के क्रय–विक्रय पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से इसे प्रतिबंधित सूची में रखने के कारण विभिन्न स्रोतों से इस दिशा–निर्देश में कतिपय संशोधन करने हेतु लगातार अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक–2861 (5)/रा., दिनांक–08.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है।

15/07/2020

कृ०पृ०उ०

3. इस दिशा–निर्देश के दिये जाने के बावजूद भी इस पत्र से आच्छादित लोगों को पत्र में वर्णित लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस कारण न केवल विभाग को बल्कि उच्च स्तर पर भी निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है।
4. विदित हो कि ऑनलाईन व्यवस्था लागू किये जाने के पूर्व भी अंचल अधिकारी ही वास्तविक रूप में अंचल स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेखों के Custodian थे एवं अभी भी हैं।
5. विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 में अंचल अधिकारी के सत्यापनोपरांत अभिलेख गठित कर अनुशंसा सहित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजना है एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा इस पर अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करना होता है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के उपरांत अभिलेख अंचल अधिकारी को वापस किया जाता है। इसके पश्चात अंचल अधिकारी द्वारा पंजी–II में तदनुरूप प्रविष्टि कर ऑनलाईन कराने हेतु अपर समाहर्त्ता के माध्यम से एन.आई.सी. को भेजा जाता है। एन.आई.सी. द्वारा तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि की जाती है जिसका QC1 एवं QC2 कराने के उपरांत अंतिम रूप से प्रविष्टि किया जाना है।
6. इस प्रकार की लम्बी प्रक्रिया के कारण प्रभावित लोगों को कई कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है एवं ससमय कार्य नहीं होने पर उच्च स्तर पर शिकायतें की जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल विभाग की छवि पर बल्कि राज्य सरकार की छवि पर भी पड़ता है।
7. विभागीय पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक– 03. 07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या–18 में 'अन्यान्य' के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार "अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरांत रद्द करने के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा., दिनांक–13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसी सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए

रसीद निर्गत किया जाय।" उपर्युक्त पत्र के अनुपालन हेतु स्मारित भी किया गया है परन्तु सरकार की अपेक्षा के अनुरूप फलाफल प्राप्त नहीं हो रहा है।

8. विभागीय संकल्प संख्या–6144 (5)/रा., दिनांक–21.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु निर्धारित की गई नीति संसूचित किया गया है। इस संकल्प द्वारा सुयोग्य श्रेणी की परिभाषा को विस्तारित किया गया है एवं भूमिहीन परिवार को भी परिभाषित किया गया है। इस संकल्प द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु स्मारित भी किया गया है परन्तु फलाफल काफी निराशाजनक है।

9. प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार न तो अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है और न ही उसे नियमित करने की। ऐसी परिस्थिति में उच्च स्तर पर शिकायतें प्राप्त होना स्वाभाविक है।

उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षोपरान्त प्रभावित लोगों को व्यवहारिक कठिनाईयों से मुक्त करने एवं प्रक्रियाओं को और अधिक सुगम तथा व्यवहारिक बनाने हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :–

(i) उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में चिन्हित किये गये अवैध/संदेहास्पद जमाबंदियों एवं तदनुरूप खोले गये अभिलेखों को श्रेणीवार यथा– विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों, सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को की गई भूमि की बंदोबस्ती, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–4, 5 एवं 6 के अंतर्गत बेलगान भूमि का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित लगान, खतियान में जंगल एवं जंगल–झाड़ी दर्ज जमाबंदियों, विभागीय पत्रांक–6144/रा., दिनांक–21.12.2017 द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में कायम जमाबंदी के नियमितीकरण एवं विभागीय पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.2018 द्वारा संसूचित मंत्रिपरिषद के निर्णय के अक्षरशः अनुपालन करने के संबंध में अलग–अलग सूची तैयार की जाय ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि प्रत्येक अंचल में उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत कितने मामले प्रक्रियाधीन हैं। श्रेणीवार सूचीबद्ध करने के उपरांत इस पत्र में दिये गये निदेशों के आलोक में अवैध/संदेहास्पद जमाबंदियों को रद्द करने हेतु खोले

कृ०पृ०उ०

गये अभिलेखों में सक्षम स्तर से त्वरित निर्णय लिये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय।

(ii) विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रोंक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।

(iii) विभागीय पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.2018 द्वारा संसूचित मंत्रिपरिषद के निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी से संबंधित अभिलेखों का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय।

(iv) अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी के रूप में चिन्हित भूमि पर निर्णय लेने के पूर्व विभागीय पत्रांक–6144/रा., दिनांक–21.12.2017 द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में कायम जमाबंदी के नियमितीकरण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। यदि नियमितीकरण संभव नहीं हो तभी जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाय। इसकी निरन्तर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

(v) जिन मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को नियमतः गैर मजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती/गृह स्थल बंदोबस्ती की गई है, उन मामलों में बंदोबस्ती पंजी, पट्टा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापनोपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी आदेश पारित करेंगे तथा पंजी–II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे। विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को इस हद तक संशोधित

समझा जाय। यदि ऐसे मामलों में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो उसका निष्पादन उपरोक्त दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय।

(vi) जिन मामलों में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–4, 5 एवं 6 के अंतर्गत बेलगान भूमि का सक्षम प्राधिकार द्वारा लगान निर्धारण किया गया है, उन मामलों में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।

(vii) खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8-78/1996-FC (pt) dated-10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।

(viii) उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन अभियान चलाकर किये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित गति से इसका लाभ प्रदान किया जा सके। आप सहमत होंगे कि उपर्युक्त सरलीकरण प्रभावित लोगों को तत्क्षण लाभ पहुँचाने एवं अनावश्यक रूप से परेशानियों से बचाने के दृष्टिकोण से ही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि एक माह के अंदर अभियान के रूप में उपर्युक्त निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

इसपर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी एवं विधि (न्याय) विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/07/2020

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव